भारत संघ

बनाम

श्रीमती साधना खन्ना

14 दिसंबर 2007

(ए.के.माथुर और मार्कंडेय काटजू, न्यायाधिपतिगण)

सेवा कानून-पदोन्नति-पदोन्नति हेतु चयन सूचि-कनिष्ठ उम्मीदवारों का नाम सम्मिलित किया गया जबकि वरिष्ठ उम्मीदवारों को योग्य होने के बावजूद सम्मिलित नहीं किया गया-चुनौती दी गई-निर्णीत-वरिष्ठ उम्मीदवारों को पात्रता तिथि के पश्चात नियुक्ति पत्र जारी किया गया जबकि कनिष्ठ उम्मीदवारों को पात्रता तिथि से पहले नियुक्ति पत्र जारी किया गया-परिणामस्वरूप, विभाग की गलती थी-वरिष्ठ उम्मीदवारों के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए।

पीडित उत्तरदाता ने वर्ष 1991 में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए चयन सूचि को चुनौती देते हुए आवेदन पत्र दायर किया क्योंकि उसका नाम चयन सूचि में नहीं था जबकि वह योग्यता धारित करती थी और उत्तरदाता से कनिष्ठ अधिकारियों को चयन सूचि में शामिल किया गया और अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अधिकरण द्वारा आवेदन को स्वीकार किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा

आदेश को यथावत् रखा गया। परिणामस्वरूप वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया।

उत्तरदाता को दिनांक 5.7.1983 को नियुक्ति पत्र दिया गया, जो 1.7.1983 के पश्चात का था, जिससे पात्रता की गणना की जानी थी। तथ्यात्मक रूप से, कुछ उम्मीदवार जो उत्तरदाता से कनिष्ठ थे, को नियुक्ति पत्र दिनांक 1.7.1983 से पूर्व जारी किये गये थे, इसलिए 1.7.1983 के पश्चात नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए विभाग दायित्वाधीन था। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.3.1998 और 19.7.1989 के प्रकाश में भी उत्तरदाता भी विचार योग्य था। अन्यथा ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, जिसमें कनिष्ठ पदोन्नति के लिए विचारणीय होगा परंतु वरिष्ठ नहीं।

आर. प्रभादेवी व अन्य बनाम भारत सरकार जरिये सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार मंत्रालय व अन्य (1988) 2 एससीसी 233, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8208/2001

न्यू दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के दीवानी रिट याचिका संख्या 1311/2000 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.3.2000 के विरूद्ध

टी.एस. दोआबिया, किरण भारद्वाज, सुषमा सूरी और मनप्रीत सिंह याचिकाकर्ता की ओर से।

रचना गुप्ता, डा. इन्द्रप्रताप सिंह और अमृत सिंह उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति मार्कंडेय काटजू द्वारा दिया गया।

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के दीवानी रिट याचिका संख्या 1311/2000 में दिये गये आलोच्य निर्णय दिनांक 21.3.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता द्वारा सहायक संवर्ग परीक्षा अक्टूबर 1981 को उत्तीर्ण करने के पश्चात दिनांक 13.7.1983 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित हुआ। उत्तरदाता को वित्त संवर्ग आवंटित किया, जिसमें वित्त मंत्रालय सम्मिलित था।

4. सहायक संवर्ग में आठ वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात उत्तरदाता को 24.7.1991 को अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में अल्पकालीन पदोन्नति प्रदान की गई। उत्तरदाता वर्तमान दिनांक तक इस पद पर कार्यरत है।

5. अनुभाग अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति हेतु चयन सूचि (वरिष्ठता श्रेणी) वर्ष 1991 के लिये दिनांक 28 मई 1993 को जारी की गई। उत्तरदाता का नाम इस चयन सूचि में सम्मिलित नहीं था, जबकि उत्तरदाता इस चयन सूचि में सम्मिलित होने के लिए योग्य था। कनिष्ठ अधिकारी, जो उत्तरदाता से सहायक संवर्ग परीक्षा 1981 में निम्न स्थान पर चयन हुए थे, 1991 में अनुभाग अधिकारी के लिये जारी की गई चयन सूचि में सम्मिलित थे।

6. सहायक ग्रेड के लिये वरिष्ठता सूचि 01 अक्टूबर 1990 को जारी की गई। इस सूचि में उत्तरदाता का स्थान क्रम संख्या 29 पर था जबकि समान संवर्ग के अन्य अधिकारीगण क्रम संख्या 30, 32, 34, 25 आदि पर थे, जो कि इस वरिष्ठता सूचि में उत्तरदाता से कनिष्ठ थे, जिन्होंने उत्तरदाता को प्रतिस्थापित किया और 1991 की चयन सूचि के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए। सहायक ग्रेड से अनुभाग अधिकारी (वरिष्ठता श्रेणी) के पद पर पदोन्नति गैर चयन, वरिष्ठता के आधार पर की गई।

7. उत्तरदाता की परिवेदना यह है कि उसके कनिष्ठों को चयन सूचि में सम्मिलित किया गया, जबकि उसका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप उत्तरदाता द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

8. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिउत्तर शपथपत्र में अपीलार्थी द्वारा (अधिकरण के समक्ष उत्तरदाता) यह आक्षेप किया कि 01.7.1991 को उत्तरदाता की सेवा अवधि न्यूनतम योग्यता आठ वर्ष की सेवा से बारह दिवस कम थी, इसलिए उत्तरदाता वर्ष 1991 की चयन सूचि में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं था। चूंकि उत्तरदाता द्वारा दिनांक 13.7.1983 को सहायक के रूप में पद ग्रहण किया था और इस वजह से चयन सूचि में सम्मिलित नहीं किया गया।

9. अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 24.9.1999 के द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया। उक्त आवेदन में यह निर्णीत किया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस न्यायालय के निर्णय आर. प्रभादेवी व अन्य बनाम भारत सरकार जरिये सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार मंत्रालय व अन्य (1988) 2 एससीसी 233 के पश्चात कार्यालय ज्ञापन 19.7.1989 यह वर्णित करते हुए जारी किया गया कि जहां कनिष्ठ पदोन्नति के लिये आवश्यक योग्यता पूर्ण करता हो, वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा, चाहे उनके द्वारा योग्यता अवधि पूर्ण न की गई हो।

10. अपीलार्थी के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे खारिज किया गया और परिणामस्वरूप यह अपील की गई।

11. यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि उत्तरदाता को चयन हेतु पत्र दिनांक 5.7.1983 को जारी किया गया, जो कि पात्रता गणना दिनांक 1.7.1983 के

बाद का है। परिणामस्वरूप 1.7.1983 के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए विभाग ही दायित्वाधीन है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को, जो उत्तरदाता से कनिष्ठ थे, को नियुक्ति पत्र दिनांक 1.7.1983 से पूर्व जारी किया गया। अतः इसके लिए विभाग दोषी है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.3.1988 और 19.7.1989 के प्रकाश में भी उत्तरदाता पर विचार किया जाना चाहिए था, अन्यथा ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, जिसमें कनिष्ठ पदोन्नति के लिए विचारणीय होगा परंतु वरिष्ठ नहीं।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस अपील में कोई सार नहीं है और यह खारिज की जाती है।

एन.जे.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी समरेन्द्रसिंह सिकरवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।